उत्पाद प्रपत्र – 27 ड़

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत ....गिरिडीह........जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, को ....गिरिडीह.... जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्त्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक– 01/10/2013 से 31/03/2014 के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा –

शर्तें

1– इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी ।

2– अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा ।

3– अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू0 2/– प्रति एल0पी0लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा । यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्त्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्त्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा ।

4– जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा ।

5– इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे ।

6– इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा । अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक

गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा, जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा ।

7– देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी ।

8– इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड समय–समय पर नियत करें ।

9– अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेशा रखा जाएगा । विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्भव होगा । जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा । यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह एसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा ।

10– अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्त्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा ।

11– अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्ध रहेगा ।

12– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का लेखा–जोखा अलग–अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

13– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा ।

14– अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा ।

15– अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा ।

16– अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

17– अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी ।

26/9/2013
उपायुक्त,
गिरिडीह,

महाप्रबन्धक, ऑपरेशन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पत्रांक 1598 दिनांक 24/03/2014 के आलोक में, उपायुक्त, गिरिडीह के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए (दिनांक 01/4/14 से दिनांक 31/03/2015) तक के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है।

31/3/14

31/03/14

उपायुक्त गिरिडीह के आदेश दिनांक 26/03/2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुज्ञप्ति नवीकृत।

31/3/2015

अधीक्षक उत्पाद
गिरिडीह

31/03/15

उपायुक्त गिरिडीह के आदेश दिनांक 30/03/2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुज्ञप्ति नवीकृत।

31/3/16

अधीक्षक उत्पाद
गिरिडीह

31/3/16

उत्पाद प्रपत्र संख्या—I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्त्ति हो।
(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

जिला का नाम — गिरिडीह।

रजिस्टर सं0 01 में लाइसेंस सं0 01/2013-14

लाइसेंस की तारीख..........................

अनुज्ञाधारी का नाम झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन, गिरिडीह।

लाईसेंस अवधि 01/10/13 से 31/03/14 तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान गिरिडीह।

चौहद्दी..

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस 18,00,000/-

अग्रिम रूप में भुगतान रू0 18,00,000/- रूपये सचिवालय कोषागार प्रोजेक्ट भवन धुर्वा रांची से चालान नं0 51- दिनांक 16/07/2013

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 को जिला के उपायुक्त दिनांक 01/10/2013 से 31 मार्च, 2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्त्ति हो सके।

1— इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाईसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्त्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।

2— झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रू0 18,00,000/- का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा।

उपायुक्त, गिरिडीह के आदेश दिनांक 26/03/2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुमति नवीकृत।

31/3/2015

अधीक्षक उत्पाद
गिरिडीह

31/03/15

उपायुक्त, गिरिडीह के आदेश दिनांक 30/03/2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुमति नवीकृत।

31/3/16

अधीक्षक उत्पाद
गिरिडीह

31/3/16